

16-5-17

आज पंचायती राज कोर्ट राजस्थान लोक
 अदालत जयपुर आपके द्वार-2017 अग्र
 सेवा केन्द्र पंचायत पर पैदा हुई
 प्रकरण के संक्षेप के विवरण निम्न
 प्रकार है कि अपीलान्त के स्व० पिता
 ज्ञानदा उर्फ बाबू पुत्र भारत हीना
 निवासी सिरोडा एवं उगिया ने तत्कालीन
 जहादेदार अर्थात् रेस्पॉन्डेंट न० 1/15 के
 पिता सम्मरण समिति के माध्यम से
 14.10.2022 को विवादग्रस्त आमाहीपार
 29090 84 रकबा 0.66, 29090 86 रकबा
 0.14, 29090 260 रकबा 0.45, 29090 409/663
 रकबा 1.67, 29090 413 रकबा 0.66, 29090
 427 रकबा 1.35, 29090 447/667 रकबा
 0.94 ई० कुल जित 7 कुल रकबा 5.27
 ई० वाले ग्राम सिरोडा 3200/- अक्षरीट
 किया जाकर अंश पर कब्जा प्राप्त
 किया गया तथा से कब्जा कागज चला
 आ रहा है।

ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा तस्वीर किया
 गया उक्त न० 202 लिखित अध्यात्मिक
 व विधि विमल है, जिसे निरस्त किया जाकर
 अपीलान्त के नाम सामान्यकरण तस्वीर
 किया जाना व्यापकित है उचित है।

वादीगण व प्रतिवादीगण अंश पंचायती से
 उपलब्ध डक्रीको का अवलोकन किया गया
 ग्राम पंचायत ~~के माध्यम~~ पंचायत द्वारा न० 202
 सन् 202 दिनांक 6-7-09 द्वारा स्वीकार
 किया गया।

उक्त विवेचना अनुसार परिणाम-
 स्वयं वादीगण द्वारा उक्त अपील स्वीकार
 की जाकर अधीनस्थ व्यापकित

उत्तम पंचायत पंचायत द्वारा पारित निर्णय
दिनांक 6-7-09 को अणुसूचि किया जाता है। प्रकरण
तहसीलदार उमियाश को निर्देश के साथ उही उमियाश
किया जाता है कि वारीगण व उहीवादीगण को
सुनकर विधिवत निर्णय पारित करे।
पालना हेतु तहसीलदार उमियाश को लिखा जावे।
परावली कंसल सुमार तैकर नम्बर से काम हो।
परावली डबलर डामिपल किया जावे।